भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 425

24 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

एफसीआई की भंडारण क्षमता

425. श्री चमाला किरण रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत दस वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवंटित निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत दस वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाले और किराए के भांडागारों का क्षमता-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की सभी खाद्यान्नों को भांडागार में रखने की योजना है; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान में कितनी प्रगति हुई है और भारतीय खाद्य निगम किस वर्ष तक 100 प्रतिशत भंडारण क्षमता प्राप्त कर लेगा?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग कुछ अन्य राज्यों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में क्षमता के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए गोदामों के निर्माण के लिए "भंडारण और गोदाम" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम (पूर्व में प्लान स्कीम) को कार्यान्वित कर रहा है।

पिछले 10 वर्षों में "भंडारण और गोदाम" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम (पूर्व में प्लान स्कीम) के अंतर्गत भंडारण क्षमता के सृजन हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को आबंटित की गई निधि का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): पिछले 10 वर्षों में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की भंडारण क्षमता (स्वयं की और किराये के) का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) और (घ): देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खरीद के बाद खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का भंडारण और बफर स्टॉक का रखरखाव करता है।

भंडारण अंतर (स्टोरेज गैप) आकलन के आधार पर भंडारण क्षमता की लगातार आकलन और मॉनीटरिंग की जाती है तथा निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

1 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के तहत साइलोज़ का निर्माण।
2 निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम।
3 केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "भंडारण और गोदाम।
4 केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5 निजी वेयरहाउसिंग स्कीम (पीडब्ल्यूएस)।
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के अंतर्गत गोदामों का सृजन।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 24.07.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 425 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

केंद्रीय क्षेत्र (पूर्व प्लान) स्कीम "भंडारण और गोदाम" के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को आबंटित निधियों का ब्यौरा।

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	वर्ष	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर के अलावा
1.	2014-15	71.84	15.00
2.	2015-16	67.70	-
3.	2016-17	35.75	-
4.	2017-18	23.50	-
5.	2018-19	63.00	-
6.	2019-20	45.00	04.00
7.	2020-21	25.00	15.00
8.	2021-22	05.00	-
9.	2022-23	28.21	10.00
10.	2023-24	110.40	66.86

******

लोक सभा में दिनांक 24.07.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 425 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनबंध।

31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार एफसीआई के पास उपलब्ध राज्य-वार और वर्ष-वार एफसीआई भंडारण क्षमता (स्वयं की और किराये के)

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	बिहार	7.14	7.03	7.25	7.66	9.61	10.41	11.08	11.36	12.07	10.38	9.71
2	झारखंड	1.79	2.24	2.53	2.56	3.37	3.79	3.90	4.08	4.28	3.96	3.58
3	ओडिशा	5.85	5.61	5.47	5.60	5.47	5.35	5.67	5.86	6.44	5.64	6.21
4	पश्चिम बंगाल	10.91	10.05	10.12	10.12	10.42	10.17	9.97	10.03	10.60	10.16	10.28
5	सिक्किम	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	कुल (पूर्वी अंचल)	25.80	25.04	25.48	26.05	28.98	29.83	30.73	31.44	33.50	30.26	29.89
6	असम	3.04	3.18	4.02	3.98	3.93	3.98	4.18	4.20	5.40	5.41	5.28
7	अरूणाचल प्रदेश	0.23	0.23	0.23	0.24	0.27	0.30	0.33	0.33	0.40	0.42	0.43
8	मेघालय	0.26	0.28	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.26	0.31	0.36
9	मिजोरम	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.32	0.32	0.32
10	त्रिपुरा	0.42	0.37	0.35	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.48	0.48	0.52
11	मणिपुर	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.49	0.52	0.63	0.65	0.65
12	नागालैंड	0.33	0.33	0.34	0.37	0.41	0.41	0.46	0.46	0.58	0.57	0.58
	कुल (पूर्वोत्तर अंचल)	4.86	4.96	5.74	5.82	5.84	5.92	6.37	6.42	8.07	8.16	8.13
13	दिल्ली	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	2.85	3.27	3.27	3.28
14	हरियाणा	40.25	47.43	52.33	53.30	54.83	57.65	61.93	63.79	69.24	43.33	41.72
15	हिमाचल प्रदेश	0.35	0.48	0.49	0.33	0.51	0.53	0.72	0.78	0.88	0.92	0.88
16	जम्मू एवं कश्मीर	1.75	2.28	2.49	2.59	2.79	2.46	2.60	2.75	2.54	2.58	2.53
17	पंजाब	113.13	108.21	109.64	112.96	115.23	116.05	119.11	124.38	139.14	99.89	120.56
18	चंडीगढ़	3.96	3.72	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.09
19	राजस्थान	24.74	22.84	19.29	18.97	17.79	18.47	19.26	20.35	24.64	10.81	11.34
20	उत्तर प्रदेश	47.06	44.27	50.31	46.34	51.20	54.86	54.17	54.49	60.68	44.85	48.49
21	उत्तराखंड	2.07	1.88	1.88	1.82	1.59	1.85	1.92	1.85	2.13	1.81	1.68
	कुल (उत्तरी अंचल)	236.98	234.78	240.16	240.04	247.67	255.60	263.44	271.30	302.52	207.53	230.57
22	आंध्र प्रदेश	29.61	15.95	11.20	10.02	9.84	13.74	14.60	13.68	11.20	10.42	10.99
23	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
24	तेलंगाना	5.45	8.79	8.55	7.46	8.96	13.27	21.53	16.56	23.33	10.55	14.43
25	केरल	8.75	5.55	5.55	5.55	5.55	5.62	5.63	5.63	6.38	6.00	5.95
26	कर्नाटक	11.00	8.51	8.85	8.51	8.85	9.44	10.06	9.76	11.20	9.04	9.09
27	तमिलनाडु	0.77	10.68	10.27	9.90	10.19	12.33	13.67	14.32	16.15	11.06	10.43
28	पुडुचेरी	0.00	0.93	1.01	1.08	1.08	1.32	1.34	0.50	0.53	0.46	0.51
	कुल (दक्षिणी अंचल)	55.65	50.48	45.50	42.59	44.54	55.79	66.89	60.52	68.86	47.61	51.47
29	गुजरात	7.46	7.62	7.09	6.46	6.44	6.39	6.62	6.65	8.64	7.92	8.62
30	महाराष्ट्र	24.61	20.20	20.37	19.08	18.30	19.89	20.38	20.07	19.70	16.68	15.85
31	गोवा	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.19	0.19
32	मध्य प्रदेश	4.68	4.89	3.78	3.76	3.74	8.08	8.25	8.31	4.71	4.36	8.52
33	छत्तीसगढ़	8.66	8.46	9.57	8.71	6.79	6.95	9.15	9.79	15.30	14.73	18.13
	कुल (पश्चिमी अंचल)	45.61	41.37	41.01	38.21	35.47	41.51	44.60	45.02	48.60	43.88	51.31
	सकल योग	368.90	356.63	357.89	352.71	362.50	388.65	412.03	414.70	461.55	337.43	371.37